

अंतिम डिक्री व मुकदमे इवतदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जांबा दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

गुरदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 03/2022

निर्णय दिनांक :- 05.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कलई रुबस उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 12 एस की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 78 में गुरदीप सिंह हिस्सा 226/6325 रहन एस.बी.बी.जे. शाखा केसरीसिंहपुर के स्थान पर गुरदीप सिंह हिस्सा 226/6325 रहन एस.बी.आई. शाखा केसरीसिंहपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे

आज दिनांक 05.01.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2022/ 20

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

दिनांक: 6/1/22

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर